>

Title: Regarding scrapping of "Under Postal Certificate" Scheme in all the post offices of the country.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, एक बहुत मशहूर फिल्म गीत है : "पाती हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोय, करमवा बैरी हो गइल हमार।" इसी तरह गुजरात की एक मशहूर गजल, जो दो भाई गाते हैं : "चिट्ठी आई है, आई है वतन से चिट्ठी आई है।"

रंग-बिरंगा पत्राचार, गरीबों के लिए पत्र का सहारा है। गांव की महिलाएं लिखती है - प्रिय प्राणनाथ, सादर प्रणाम। सभी पत्रों के मार्फत यह होता है। वर्षों से चालू हैं डाक प्रमाण पत्र व्यवस्था अर्थात अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग या अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट।

पहले पांच पैसे में टिकट लगाकर या मोहर लगाकर जब कोई चिट्ठी डालता था तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसे बढ़ाकर बाद में 50 पैसे कर दिया गया, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट सेवा जो थी कि कोई व्यक्ति चिट्ठी डाले तो उसे सर्टिफिकेट मिलता था, एक जिम्मेदारी रहती थी डाक विभाग की कि वह पत्र जहां जाना है, वहां जाएगा। उसकी जगह अब रजिस्टरी के लिए 22-25 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गरीब आदमी के लिए इतना पैसा देना सम्भव नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पुरानी व्यवस्था को कायम रखने में उसका क्या खर्च होता था, केवल एक मोहर ही लगानी होती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। इस बात की जानकारी सभी माननीय सदस्यों को है। सरकार बताए कि क्यों गरीबों के खिलाफ ऐसा निर्णय किया गया है। आम आदमी जब चिट्ठी डालता था तो उसे सर्टिफिकेट मिलता था, उसे बंद करके रजिस्टर्ड लैटर की शुरूआत की गई है। इस तरह की रजिस्टरी कराने में 25 रुपए से 28 रुपए लगते हैं। इतना घोर अन्याय गरीबों के साथ क्यों किया जा रहा है, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं और इसे खत्म करने के पीछे क्या लॉजिक है? इसे खत्म करने से सरकार को कितनी बचत होगी और कायम रखने पर सरकार को कितना खर्च करना पड़ता, यह भी सरकार बताए? इस तरह के निर्णयों से पता चलता है कि सरकार गरीब विरोधी निर्णय लेती है और सदन को जानकारी भी नहीं देती है। यूपीसी की व्यवस्था जो बरसों से गरीबों के लिए चल रही थी, उसे पुनः लागू करना चाहिए, नहीं तो सरकार को सदन को बताना चाहिए कि इसे बंद करने के पीछे क्या लॉजिक है? इसलिए इस व्यवस्था को खत्म करने का गरीब विरोधी निर्णय जो उसने लिया है, सरकार इसे स्पष्ट करे।

MR. CHAIRMAN : Shri Dhananjay Singh is allowed to associate with the matter raised by Dr. Raghuvansh Prasad Singh.